

मध्य प्रदेश शासन, बन विभाग
ग्रन्तालय
बलनगर शहर, श्रीपाल--462001

प्राप्ति संख्या-30/प्र/99/10/3

मोर्टाल, दिनांक १० सितम्बर, 1999

प्रति,

अग्र श्रद्धालु गुरुजी बन राजका [प्रस्तावन]
मध्यप्रदेश, श्रीपाल,

निकाय :- अग्ररोध मूल्य निधरिण प्रक्रिया में संशोधन।


संदर्भ :- अग्रकोटीप्राप्ति क्रांक 262/दिनांक 12-5-99.

उपरोक्त निषेध में संविधित दीध का फूम्हा अनलोकन करें। अग्ररोध मूल्य निधरिण प्रक्रिया में अप्रसन्नतानुसार संशोधन किया जाता है:-

- 1- अग्ररोध दीध का निधरिण प्रत्येक 6 माह हेतु निगत 6 माहों की क्रान्त दर² के अनुसार एवं ध्याकरण में रखते हुए बर्ष में दो बार प्रमाणः। अग्रल सबं । अप्रूचार को किया जाए।
- 2- महाराष्ट्र में अपनामी एवं रही वद्वति अनुसार नीलाम के द्वीरान अग्ररोध मूल्य एवं विधि नहीं किया जाए।
- 3- एड प्रस्तावनित किये जाने से कुछ दो नीलामों में अग्ररोध मूल्य से नीचे छोड़ दाढ़ अवृक्त नहीं किया जाए।

उपर व्यक्त प्रस्ताव पर दिनांक 10-2-99 को आगोजित अंतर्विभागीय समिति द्वा राखति व्यक्त की गई है। यह व्यवस्था प्राग्नीयिक तौर पर एः माह के नियंत्रण द्वारा पश्चात् प्राप्त विवरणों द्वारा समीक्षा अंतर्विभागीय समिति में की जाए और असमी पश्चात् स्वाई व्यवस्था लागू किये जाने पर विचार किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा अधिकारी


अनुराग श्रीबास्तव
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, बन विभाग